

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 09-01-2026

विषय सूची

विदेश मंत्री की यूरोप यात्रा

भारत द्वारा स्मारक संरक्षण निजी एजेंसियों के लिए अनुमति

प्रवासी भारतीय दिवस (PBD)

केंद्र द्वारा भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए अधिसूचना जारी

भारत के क्लिक-कॉमर्स सेक्टर में 10-मिनट डिलीवरी मॉडल

आधुनिक वॉरफेयर और भारत की उभरती सुरक्षा चुनौतियाँ

संक्षिप्त समाचार

पंखुड़ी पोर्टल (PANKHUDI Portal)

ग्राहम-ब्लूमैथल प्रतिबंध विधेयक

स्पाइना बिफिडा

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से अमेरिका बाहर

समुद्री कछुओं का उपग्रह टैगिंग संरक्षण में सहायक

बायो-बिटुमेन

विदेश मंत्री की यूरोप यात्रा

संदर्भ

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर की 2026 की पहली आधिकारिक यात्रा यूरोप से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने पेरिस और लक्ज़मबर्ग का दौरा किया। यह यात्रा वैश्विक राजनीति में बड़े बदलावों की पृष्ठभूमि में हुई।

परिचय

- पेरिस में, मंत्री ने अपने फ्रांसीसी, जर्मन और पोलिश समकक्षों से इंडिया-वाईमार् ट्रायंगल बैठक के लिए भेंट की।
 - वाईमार् ट्रायंगल प्रारूप 1991 में जर्मनी की पहल के रूप में शुरू किया गया था और इसमें फ्रांस एवं पोलैंड शामिल हैं।
 - यह प्रथम बार था जब किसी गैर-यूरोपीय साझेदार को विदेश मंत्री स्तर पर वाईमार् ट्रायंगल बैठक प्रारूप में आमंत्रित किया गया।
 - भारत का शामिल होना इस बात की मान्यता है कि देश यूरोपीय रणनीतिक गणनाओं में एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक अभिनेता है।
- आने वाले हफ्तों में, भारत कई शीर्ष नेताओं की मेजबानी करने वाला है जिनमें जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता शामिल हैं, जो भारत की यूरोप के साथ बढ़ती भागीदारी को उजागर करता है।
- विदेश मंत्री ने कहा कि यूरोप वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और भारत के लिए आवश्यक है कि वह इसके साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करे।

भारत-ईयू संबंध

- राजनीतिक सहयोग:** भारत-ईयू संबंध 1960 के दशक की शुरुआत से हैं, और 1994 में हस्ताक्षरित सहयोग समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापार एवं आर्थिक सहयोग से आगे बढ़ाया।
- 2000 में प्रथम भारत-ईयू शिखर सम्मेलन इस संबंध के विकास में एक माइलस्टोन था।

- 2004 में हेग में 5वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' में उन्नत किया गया।
- आर्थिक सहयोग:** 2023-24 में भारत का ईयू के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 137.41 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिससे ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया।
 - भारत के 17% निर्यात ईयू को जाते हैं और ईयू के 9% निर्यात भारत आते हैं।
- भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता:** इसका उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और भौगोलिक संकेतों को कवर करने वाला एक व्यापक व्यापार समझौता अंतिम रूप देना है।
 - ईयू और भारत इस महीने गणतंत्र दिवस के दौरान ईयू नेताओं की यात्रा के समय 'मुक्त व्यापार' समझौते (FTA) की घोषणा करने पर कार्य कर रहे हैं।
- अन्य सहयोग क्षेत्र:**
 - भारत-ईयू जल साझेदारी (IEWP),** 2016 में स्थापित, जल प्रबंधन में तकनीकी, वैज्ञानिक और नीतिगत ढांचे को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
 - 2020 में, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय और भारत सरकार के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए एक समझौता हुआ।
 - भारत और ईयू ने 2023 में **व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)** स्थापित की। TTC व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पर सहयोग के लिए एक मंच है।
- भारत की दो स्तरों पर भागीदारी**
 - ईयू एक समूह के रूप में:** नियमित शिखर सम्मेलन, व्यापार, तकनीक, सुरक्षा, विदेश नीति पर रणनीतिक संवाद।
 - प्रमुख ईयू सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय:** फ्रांस, जर्मनी, नॉर्डिक और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ बेहतर संबंध।

भारत-यूरोप संबंधों को आकार देने वाले कारक

- **भू-राजनीतिक बदलाव और रणनीतिक स्वायत्तता:** यूरोप में युद्ध की वापसी (रूस-यूक्रेन) एवं बहुपक्षवाद का वैश्विक क्षरण।
- **अमेरिका से यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता की खोज:** विशेषकर ट्रंप युग के बाद।
- **भारत का लक्ष्य:** बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाए रखना और अमेरिका, रूस, चीन से परे साझेदारी विविध बनाना।
- **अमेरिकी अनिश्चितता:** ट्रंप प्रशासन की यूरोपीय सुरक्षा प्रतिबद्धताओं की अप्रत्याशितता ने यूरोप को वैकल्पिक साझेदारियों की खोज करने पर विवश किया। भारत एक स्थिर लोकतंत्र और विश्वसनीय साझेदार के रूप में रणनीतिक रूप से मूल्यवान बनता है।
- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदारों में से एक है।
- **IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर):** रणनीतिक संपर्क और व्यापार के अवसर प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी और डिजिटल संप्रभुता:** दोनों डिजिटल तकनीकों को सार्वजनिक वस्तु के रूप में बढ़ावा देने में साझा रुचि रखते हैं।
- **रक्षा और रणनीतिक सहयोग:** यूरोप भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता है। भारत संयुक्त विकास, सह-उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण चाहता है।
- **हिंद-प्रशांत और समुद्री रणनीति:** यूरोप हिंद-प्रशांत को रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में देखता है। भारत फ्रांस, जर्मनी और अन्य के साथ मिलकर स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत को बढ़ावा दे रहा है।

भारत-ईयू संबंधों में चुनौतियाँ

- **यूक्रेन युद्ध पर भारत का दृष्टिकोण:** यूरोप चाहता है कि भारत रूस की अधिक आलोचना करे; भारत रणनीतिक तटस्थता बनाए रखता है।
- **पाकिस्तान और आतंकवाद पर ईयू का दृष्टिकोण:** भारत चाहता है कि ईयू पाकिस्तान को राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराए।

- **व्यापार समझौतों पर धीमी प्रगति:** भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता कई बार गतिरोध में फंसी है।
- **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM):** ईयू द्वारा लगाया गया, भारत के लिए अतिरिक्त व्यापार बाधाएँ उत्पन्न करता है।
- **मानवाधिकार और मानक दबाव:** ईयू प्रायः भारत के आंतरिक मामलों पर निर्देशात्मक रुख अपनाता है।
 - भारत इसे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप मानता है।
- **नियामक और मानक बाधाएँ:** डेटा गोपनीयता, डिजिटल कराधान, पर्यावरण मानकों और श्रम कानूनों पर ईयू के सख्त नियम भारतीय निर्यातकों एवं तकनीकी कंपनियों के लिए बाधा हैं।
- **मीडिया रूढ़ियाँ और सीमित जन-जागरूकता:** यूरोप में भारत के प्रति सीमित जागरूकता और मीडिया रूढ़ियाँ लोगों के बीच संबंधों को बाधित करती हैं।

आगे की राह

- **फ़ास्ट ट्रेक और निवेश समझौते:** यूरोपीय संघ एवं भारत को लंबे समय से लंबित भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संरक्षण समझौते को अंतिम रूप देना चाहिए।
- **रणनीतिक और रक्षा सहयोग को गहरा करना:** खरीदार-विक्रेता संबंध से आगे बढ़कर रक्षा प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास और सह-उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाना।
- **गतिशीलता और शिक्षा साझेदारी का विस्तार:** कुशल पेशेवरों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक व्यापक गतिशीलता समझौते को अंतिम रूप देना।
- **लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनाना:** चीन से दूर विश्वसनीय और पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर विविधीकरण करना।
- **IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर) जैसी पहलों का लाभ उठाना:** लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और व्यापार के लिए।

- **लोगों-से-लोगों और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना:** पर्यटन, मीडिया जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर रूढ़ियों को तोड़ना और आपसी समझ को गहरा करना।

निष्कर्ष

- 2026 में विदेश मंत्री की प्रथम आधिकारिक यूरोप यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत ने यूरोप को एक द्वितीयक आर्थिक और राजनीतिक संबंध से अपनी विदेश नीति के केंद्रबिंदु में बदलने का सचेत रणनीतिक निर्णय लिया है।
- FTA का निष्कर्ष एक व्यापार गलियारा बनाएगा जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला का गंभीर एकीकरण होगा।


- यह यात्रा भारत की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दृष्टि की पुष्टि करती है, जहाँ भारत जैसे उभरते शक्तियाँ रणनीतिक स्वायत्तता का अभ्यास करती हैं, न कि पश्चिमी या किसी अन्य समूह के अधीन सरेखण।

स्रोत: TH

भारत द्वारा स्मारक संरक्षण निजी एजेंसियों के लिए अनुमति

संदर्भ

- संस्कृति मंत्रालय निजी एजेंसियों को केंद्र संरक्षित स्मारकों पर मूल संरक्षण कार्य करने की अनुमति देने जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का विशेषाधिकार समाप्त होगा।



निर्णय के पीछे का तर्क

- **क्षमता वृद्धि:** एएसआई की मानव संसाधन और विशेषज्ञता की सीमाओं को दूर करना।
- **समयबद्ध निष्पादन:** निजी भागीदारी सख्त परियोजना समयसीमा का पालन सुनिश्चित करती है।
- **राष्ट्रीय प्रतिभा पूल का निर्माण:** विरासत संरक्षण के पेशेवरकरण को प्रोत्साहित करना।
- **कुशल निधि उपयोग:** CSR और दाता निधियों के उपयोग में देरी को कम करना।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ:** कई देश राज्य पर्यवेक्षण के तहत विनियमित निजी संरक्षण कंपनियों का उपयोग करते हैं।

नया सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल

- नई पहल का उद्देश्य विरासत संरक्षण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को लागू करना है। इस कदम का लक्ष्य है:
 - संरक्षण कार्य की क्षमता बढ़ाना।
 - परियोजना समयसीमा को तीव्र करना, जो एसआई की एकल-एजेंसी दृष्टिकोण के तहत ऐतिहासिक रूप से धीमी रही है।
 - पेशेवर और नियामक पर्यवेक्षण बनाए रखते हुए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- सभी संरक्षण परियोजनाएँ एसआई के पर्यवेक्षण में रहेंगी और राष्ट्रीय संरक्षण नीति (2014) का पालन करना अनिवार्य होगा।

जाँच, संतुलन और पात्रता

- केवल योग्य संरक्षण वास्तुकार जिनका सिद्ध अनुभव है, उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा।
- कार्यान्वयन एजेंसियों को 100 वर्ष से अधिक पुराने ढाँचों के पुनर्स्थापन का पूर्व अनुभव प्रदर्शित करना होगा।
- प्रारंभ में, 250 स्मारकों की सूची प्रकाशित की जाएगी जिन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है।
 - दाता इस सूची से चुन सकते हैं या क्षेत्रीय/विषयगत रुचियों के आधार पर विशिष्ट स्थलों का अनुरोध कर सकते हैं।

ढाँचा और कार्यान्वयन

- **राष्ट्रीय संस्कृति निधि (NCF) की भूमिका:** सभी परियोजनाओं के लिए निधि NCF के माध्यम से प्रवाहित होगी, जिसे 1996 में ₹20 करोड़ की सरकारी कोष राशि के साथ स्थापित किया गया था।
 - NCF की संरचना दाताओं को सीधे संरक्षण परियोजनाओं के लिए निधि देने की अनुमति देती है, साथ ही CSR पहलों के अंतर्गत 100% कर छूट प्राप्त होती है।

- **संरक्षण वास्तुकारों का सूचीकरण:** संस्कृति मंत्रालय RFP जारी कर भारत भर में दर्जन से अधिक संरक्षण वास्तुकारों को सूचीबद्ध करने का लक्ष्य रखता है।
 - दाता इस पैनल से अपने संरक्षण परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शक चुनेंगे।
 - वास्तुकार और दाता मिलकर विरासत संरक्षण में अनुभव रखने वाली बाहरी कार्यान्वयन एजेंसियों को नियुक्त करेंगे।
 - प्रत्येक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को एसआई द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा।
 - इसका अर्थ है कि जहाँ एसआई अपनी पर्यवेक्षी भूमिका बनाए रखेगा, वहीं निजी खिलाड़ी अब कार्यान्वयन एजेंसियाँ बन सकते हैं।

‘एडॉप्ट ए हेरिटेज’ योजना से तुलना

- पहले सरकार की ‘एडॉप्ट ए हेरिटेज’ पहल ने कॉर्पोरेट निकायों को *मोन्यूमेंट मित्र* के रूप में कार्य करने की अनुमति दी थी, जो कैफ़े, टिकट काउंटर और शौचालय जैसी पर्यटक सुविधाओं के विकास पर केंद्रित थी।
- नई योजना, हालांकि, इससे आगे जाती है और निजी भागीदारी को मूल संरक्षण कार्य में अनुमति देती है, जो विरासत प्रबंधन में एक बड़ा नीतिगत बदलाव है।

वैश्विक समानताएँ

- यूनाइटेड किंगडम ने *चर्चेंज कंजर्वेशन ट्रस्ट* स्थापित किया है, जो सुदृढ़ निजी भागीदारी के साथ ऐतिहासिक भवनों का प्रबंधन करता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा में निजी क्षेत्र की निधि एवं संगठनों को शामिल करता है।
- जर्मनी और नीदरलैंड ने भी निजी निधि द्वारा समर्थित विभिन्न फाउंडेशन स्थापित किए हैं जो ऐतिहासिक भवनों का प्रबंधन करते हैं।

संरक्षण क्षेत्राधिकार: संवैधानिक प्रावधान

- **संघ (प्रविष्टि 67):** संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों पर संघ का विशेषाधिकार है।
- **राज्य (प्रविष्टि 12):** राज्यों का अधिकार उन प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों पर है जिन्हें संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित नहीं किया गया है।
- **समवर्ती सूची (प्रविष्टि 40):** राष्ट्रीय महत्व घोषित किए गए स्थलों को छोड़कर अन्य पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों पर संघ और राज्यों दोनों का अधिकार है।
- **अनुच्छेद 253:** संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों, अभिसमयों या समझौतों को लागू करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है, भले ही विषय राज्य सूची में हो। यह संधीय वितरण को तब अधिभूत करता है जब अंतरराष्ट्रीय दायित्वों (जैसे यूनेस्को अभिसमय) के लिए आवश्यक हो।

स्रोत: IE

प्रवासी भारतीय दिवस (PBD)**संदर्भ**

- प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) प्रत्येक दो वर्ष में 9 जनवरी को मनाया जाता है।
 - 18वाँ संस्करण 2025 में आयोजित हुआ और 19वाँ 2027 में होने की संभावना है।

परिचय

- यह एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो भारतीय प्रवासी समुदाय के अपने मातृभूमि के प्रति योगदान का सम्मान करता है।
- 9 जनवरी उस दिन की स्मृति है जब 1915 में महात्मा गांधी, सबसे महान प्रवासी, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया।
- प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) सम्मेलन प्रथम बार 2003 में स्थापित किया गया था, यह विदेश मंत्रालय का प्रमुख आयोजन है।

- 2015 से, यह एक द्विवार्षिक आयोजन में परिवर्तित हो गया है, जिसमें बीच के वर्षों में विषय-आधारित सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

भारतीय प्रवासी

- प्रवासी उन लोगों का समूह है जो या तो अपनी उत्पत्ति भारत से जोड़ सकते हैं या जो भारतीय नागरिक हैं और विदेश में अस्थायी या स्थायी रूप से रहते हैं।
- भारतीय विदेश मंत्रालय [2024] के अनुसार, वैश्विक भारतीय प्रवासी लगभग 35.42 मिलियन हैं, जिसमें 15.85 मिलियन अनिवासी भारतीय (NRI) एवं 19.57 मिलियन भारतीय मूल के लोग (PIOs) शामिल हैं।
- शीर्ष 5 देश जहाँ भारतीय प्रवासी रहते हैं:
- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): 5.4 मिलियन
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE): 3.6 मिलियन
- मलेशिया: 2.9 मिलियन
- कनाडा: 2.8 मिलियन
- सऊदी अरब: 2.4 मिलियन
- भारत विश्व में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का मूल देश है, जो लगभग 18 मिलियन तक पहुँचता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में बताया गया है।

प्रवासी का महत्व

- **रेमिटेंस :** 2024 में भारत को अनुमानित \$129.1 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जो किसी भी देश के लिए किसी भी वर्ष में सबसे अधिक है।
- 2025 में वैश्विक रेमिटेंस में भारत की हिस्सेदारी 14.3% थी, जो सहस्राब्दी की शुरुआत से किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है।
- ये विदेशी मुद्रा भंडार और ग्रामीण परिवारों की आय में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।
- **निवेश और व्यापार:** NRI और PIO भारतीय रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स एवं बुनियादी ढाँचे में निवेश करते हैं तथा भारत और उनके निवास देशों के बीच व्यापार सुगम बनाते हैं।

- **तकनीक और नवाचार:** भारतीय मूल के पेशेवर सिलिकॉन वैली, अकादमिक जगत और वैश्विक कंपनियों में ज्ञान हस्तांतरण, मार्गदर्शन एवं नवाचार संबंधों में योगदान करते हैं।
- **सांस्कृतिक राजदूत:** प्रवासी भारतीय भाषाओं, योग, भोजन, सिनेमा और त्योहारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देते हैं।
- **नीति वकालत:** प्रवासी समुदाय प्रायः मेजबान देशों में भारत के पक्ष में विदेश नीति निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
- **नागरिक कूटनीति:** प्रवासी की भागीदारी भारत को द्विपक्षीय तनाव या नकारात्मक मीडिया कवरेज के दौरान संबंधों को प्रबंधित करने में सहायता करती है।
- **वैश्विक मान्यता:** उनकी उपलब्धियाँ भारत की छवि को प्रतिभा और अवसरों की भूमि के रूप में बढ़ाती हैं।

भारतीय प्रवासी द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ

- **द्वैध नागरिकता नहीं:** भारत द्वैध नागरिकता की अनुमति नहीं देता, जिससे राजनीतिक अधिकार और मातृभूमि से भावनात्मक जुड़ाव सीमित हो जाता है।
- **नस्लवाद और ज़ेनोफोबिया:** USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में बढ़ते नस्लीय हमले।
- **कानूनी और आव्रजन मुद्दे:** देशों में प्रतिबंधात्मक वीजा व्यवस्था, निर्वासन एवं कार्य परमिट से संबंधित अनिश्चितताएँ।
- **कम वेतन वाले प्रवासी श्रमिक:** खाड़ी देशों में कई भारतीय श्रमिक शोषणकारी अनुबंधों, वेतन में देरी, असुरक्षित आवास और लंबे कार्य घंटों का सामना करते हैं।
- **पहचान बनाए रखने का संघर्ष:** पश्चिमी देशों में भारतीय मूल के युवा प्रायः पहचान संकट और सांस्कृतिक अलगाव का सामना करते हैं।
- **प्रवासी-विरोधी भावना:** आर्थिक मंदी और राजनीतिक ध्रुवीकरण के दौरान प्रवासी-विरोधी भावनाओं में वृद्धि।

प्रवासी को जोड़ने के लिए सरकारी पहल

- **भारतीय प्रवासी नागरिकता (OCI) कार्ड:** यह पात्र PIOs (पाकिस्तान/बांग्लादेश मूल को छोड़कर)

को चौथी पीढ़ी तक आजीवन वीजा-मुक्त प्रवेश, संपत्ति अधिकार (कृषि को छोड़कर) और आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है।

- **नो इंडिया प्रोग्राम (KIP):** प्रवासी युवाओं (21-35 वर्ष) के लिए अल्पकालिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम, जिससे वे भारतीय संस्कृति, संस्थानों और राज्यों से जुड़ सकें।
- **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR):** सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शैक्षणिक चेयर और कलाकार प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देता है।
- **ई-माइग्रेट सिस्टम:** भारतीय श्रमिकों की रक्षा के लिए ऑनलाइन मंच, जो भर्ती, रोजगार अनुबंध और शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करता है।
- **भारतीय प्रवासी सम्मान पुरस्कार:** भारतीय सरकार द्वारा प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान।
- **मदद पोर्टल:** विदेशों में भारतीयों के लिए पासपोर्ट, वाणिज्य दूतावास सेवाओं और कानूनी मुद्दों में सहायता हेतु विदेश मंत्रालय का ऑनलाइन शिकायत निवारण मंच।
- **वज्र योजना (VAJRA Scheme):** विदेशों में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को उन्नत अनुसंधान परियोजनाओं में भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित करती है।
- **वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप:** प्रवासी को भारतीय मिशन से जोड़ने के लिए एक डिजिटल मंच, पंजीकरण, संचार और जनसंपर्क गतिविधियों हेतु।

स्रोत: PIB

केंद्र द्वारा भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए अधिसूचना जारी

समाचार में

- केंद्र ने भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए अधिसूचना जारी की है।

जनगणना के बारे में

- जनगणना किसी देश की जनसंख्या को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने, संकलित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। जनसंख्या गणना के ऐतिहासिक संदर्भ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर अकबर के आइन-ए-अकबरी तक मिलते हैं।
- आधुनिक समकालिक जनगणना, जिसमें पूरे देश में एक साथ डेटा एकत्र किया जाता है, 1881 में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई थी, जब डब्ल्यू. सी. प्लॉडेन भारत के पहले जनगणना आयुक्त बने।
- जनगणना अनुसूचियों में जानकारी दर्ज की जाती थी, जो समय के साथ विकसित हुई लेकिन सामान्यतः इसमें आयु, लिंग, मातृभाषा, साक्षरता, धर्म और जाति से संबंधित प्रश्न शामिल होते थे।
- जनगणना संघ सूची का विषय है जबकि जनगणना अधिनियम, 1948 जनगणना प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। यह केंद्र सरकार को जनगणना संचालन करने और पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए जनगणना आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार देता है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹11,718.24 करोड़ की लागत पर जनगणना को स्वीकृति दी है और जनगणना 2027 में जाति गणना भी शामिल होगी।
 - यह भारत की प्रथम पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें एंड्रॉयड और iOS पर मोबाइल अनुप्रयोगों का उपयोग किया जाएगा।

जनगणना कैसे की जाती है?

- यह प्रक्रिया दो व्यापक चरणों में की जाती है: गृह-सूचीकरण और आवास जनगणना, इसके बाद जनसंख्या गणना।
- गृह-सूचीकरण चरण:** प्रत्येक भवन का सर्वेक्षण किया जाता है ताकि परिवारों और आवास से संबंधित विवरण दर्ज किए जा सकें, जिनमें संरचना का प्रकार, स्वामित्व, कमरों की संख्या, निर्माण सामग्री, जल, विद्युत, शौचालय, खाना पकाने का ईंधन और घरेलू संपत्ति तक पहुंच शामिल है। यह चरण आवासीय स्थिति एवं

बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का अवलोकन प्रदान करता है और 2026 में आयोजित होने की संभावना है।

- जनसंख्या गणना चरण:** गृह-सूचीकरण के बाद आयोजित किया जाता है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति (बेघर सहित) के लिए आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, जाति/जनजाति, विकलांगता और प्रवासन इतिहास जैसी व्यक्तिगत-स्तर की जानकारी एकत्र की जाती है। यह जनगणना का मुख्य जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक डेटा बनाता है।
- डेटा प्रसंस्करण:** जानकारी को केंद्रीकृत रूप से संसाधित किया जाता है और चरणों में जारी किया जाता है, जिसमें प्रारंभिक जनसंख्या आँकड़े, उसके बाद विस्तृत तालिकाएँ शामिल होती हैं। गुणवत्ता जाँच एवं ऑडिट सटीकता सुनिश्चित करते हैं।

महत्व

- नीति और योजना:** स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और रोजगार योजनाओं के लिए आधारभूत डेटा प्रदान करता है।
- संसाधन आवंटन:** राज्यों और स्थानीय निकायों को निधि वितरण निर्धारित करता है।
- प्रतिनिधित्व:** निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण नीतियों का आधार बनता है।
 - जनगणना 2027 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी हिंदुओं के लिए जाति गणना की जाएगी, विधानसभाओं में सीटों के परिसीमन को सक्षम करेगी और महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट आरक्षण की जानकारी देगी।
- डिजिटल परिवर्तन:** मोबाइल ऐप्स और स्व-जनगणना का उपयोग दक्षता, पारदर्शिता और डेटा जारी करने की गति को बढ़ाता है।

मुद्दे और चिंताएँ

- डिजिटल शासन की चुनौतियाँ:** ग्रामीण, दूरस्थ और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जिनकी इंटरनेट तक सीमित पहुँच है, चुनौतीपूर्ण है।

- **डेटा चिंताएँ:** संवेदनशील जनसांख्यिकीय और जाति डेटा की सुरक्षा एवं दुरुपयोग या उल्लंघन से बचाव को लेकर चिंताएँ हैं।
- **समन्वय मुद्दा:** सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सख्त समयसीमा के अंदर समन्वय करना।
- **शहरी जटिलता:** प्रवासी जनसंख्या, अनौपचारिक आवास और तीव्र शहरीकरण सटीक गणना को जटिल बनाते हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

- जनगणना 2027 भारत के शासन में एक ऐतिहासिक अभ्यास है, जो परंपरा को डिजिटल नवाचार के साथ जोड़ती है।
- इसकी सफलता डिजिटल विभाजन को समाप्त करने, सुदृढ़ डेटा संरक्षण सुनिश्चित करने और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देने पर निर्भर करेगी। चुनौतियाँ बनी रहने के बावजूद, जनगणना एक व्यापक, समावेशी और समय पर जनसांख्यिकीय प्रोफाइल बनाने का अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती है।
- यह आने वाले दशकों में नीतियों को आकार देने और राष्ट्रीय विकास को विविध एवं गतिशील जनसंख्या की वास्तविकताओं के साथ सरेखित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

स्रोत : Air

भारत के क्विक-कॉमर्स सेक्टर में 10-मिनट डिलीवरी मॉडल

संदर्भ

- भारत के क्विक-कॉमर्स क्षेत्र में 10-मिनट डिलीवरी मॉडल उपभोक्ताओं के लिए अद्वितीय सुविधा का वादा करता है, लेकिन इसकी आवश्यकता और स्थिरता पर प्रश्न उठाता है।
 - हाल ही में, देश भर में एक लाख से अधिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों ने क्विक-कॉमर्स क्षेत्र में हावी 10-20 मिनट की डिलीवरी प्रणाली को समाप्त करने की मांग करते हुए हड़ताल की।

क्विक-कॉमर्स सेक्टर के बारे में

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) क्विक-कॉमर्स को 'लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स और शहरी उपभोक्ता खुदरा में एक परिवर्तनकारी नवाचार' के रूप में मान्यता देता है।
- यह ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स तकनीक, और गिग अर्थव्यवस्था संरचनाओं के मिश्रण से तीव्रता से विकसित हुआ है, जो आवश्यक वस्तुओं को 10 से 20 मिनट के अंदर वितरित करता है।
- नीति आयोग डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (2024) के अनुसार, 'क्विक-कॉमर्स मॉडल डेटा एनालिटिक्स, एआई लॉजिस्टिक्स और ऑन-डिमांड उपभोक्ता पारिस्थितिकी प्रणालियों के अभिसरण का प्रतिनिधित्व करते हैं'।
- 10-मिनट डिलीवरी मॉडल एआई-संचालित मांग पूर्वानुमान, माइक्रो-वेयरहाउसिंग, और शहरी रूटिंग अनुकूलन को एकीकृत करता है।

बाज़ार अवलोकन

- भारतीय Q-कॉमर्स बाजार वित्त वर्ष 2024-25 में ₹25,300 करोड़ (USD 3.1 बिलियन) तक पहुंच गया।
 - नुमानित वृद्धि दर: 2028 तक 49% सीएजीआर।
- **2024 और 2027 के बीच:** क्विक-कॉमर्स उद्योग का तीन गुना बढ़ने की संभावना है, जो 28% वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹1 – 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा।
- 600 से अधिक डार्क स्टोर राष्ट्रव्यापी संचालित होते हैं, जो दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में केंद्रित हैं।

रोजगार और श्रम भागीदारी

- **श्रम और रोजगार मंत्रालय (वार्षिक गिग कार्य बुलेटिन, 2024-25) के अनुसार:**
 - Q-कॉमर्स डिलीवरी में 3.5 लाख से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं।
 - 60% अंशकालिक गिग वर्कर हैं, जिनकी दैनिक औसत कमाई ₹700-₹1,200 के बीच है।
- **नीति आयोग के अनुसार,** भारत का गिग कार्यबल 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुंच सकता है।

10-मिनट डिलीवरी मॉडल में मुख्य मुद्दा

- **रोजगार का मुद्दा:** प्रत्येक वर्ष लगभग 20 मिलियन नए नौकरी चाहने वाले बाजार में प्रवेश करते हैं, जबकि केवल लगभग 2 मिलियन औपचारिक रोजगार सृजित होते हैं।
 - इस रिक्तता में, गिग प्लेटफॉर्म ने लाखों कम-कौशल वाले श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण रोजगार सेतु प्रदान किया है।
- **प्रौद्योगिकी पर मानवीय दबाव:** '10-मिनट डिलीवरी' केवल एल्गोरिदम द्वारा संचालित नहीं होती है; यह अस्थिर मजदूरी, अपारदर्शी नियमों और ऐप निष्क्रियता के निरंतर खतरे के अंतर्गत कार्य करने वाले विशाल मानव कार्यबल पर निर्भर करती है।
- **आर्थिक असंतुलन:** श्रम समायोज्य चर बना रहता है, जबकि तकनीकी और विपणन लागतें संरक्षित रहती हैं।
 - तेज डिलीवरी से उपभोक्ताओं को मामूली लाभ होता है लेकिन श्रमिकों के कल्याण से अत्यधिक लागत निकाली जाती है।
- **नैतिक विरोधाभास:** समाज अन्य उद्योगों में लागत कम करने के लिए बाल श्रम या कारखाने की सुरक्षा की अनदेखी जैसे असुरक्षित शॉर्टकट स्वीकार नहीं करता है।
 - इसी तरह, उपभोक्ता सुविधा के लिए मानवीय गति का शोषण सामान्य नहीं किया जाना चाहिए।
- **श्रम संहिताओं और उनकी सीमाएं:** भारत की नई श्रम संहिताएं, गिग श्रमिकों को नाममात्र की मान्यता प्रदान करते हुए भी, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में कम पड़ती हैं। मुख्य कमियां शामिल हैं:
- **गैर-अनिवार्य प्रावधान:** दुर्घटना बीमा और मातृत्व सहायता जैसे लाभ भविष्य की सरकारी अधिसूचनाओं और धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।
- **मुख्य श्रम अधिकारों से बहिष्करण:** गिग श्रमिकों को कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जिससे वे न्यूनतम मजदूरी, सवैतनिक अवकाश और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों से बाहर हो जाते हैं।

- **एल्गोरिदमिक ब्लाइंड स्पॉट:** संहिताएं एल्गोरिदमिक नियंत्रण की उपेक्षा करती हैं, वे अपारदर्शी प्रणालियाँ जो श्रमिक आवंटन, रेटिंग, और आय में उतार-चढ़ाव को निर्धारित करती हैं।

अन्य चिंताएं:

- **सुरक्षा:** बढ़ते डिलीवरी दुर्घटनाओं के कारण श्रम मंत्रालय की सुरक्षित मील पहल (Safe Miles Initiative) (2025) शुरू की गई।
- **शहरी भीड़भाड़:** शहरी विकास मंत्रालय चेतावनी देता है कि 'डार्क-स्टोर प्रसार' के लिए नए ज़ोनिंग मानदंडों की आवश्यकता है।
- **डेटा गोपनीयता:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, अब पूरी तरह से लागू है, जो ग्राहक स्थान और व्यवहार डेटा एनालिटिक्स को नियंत्रित करता है।

संबंधित प्रयास और पहल

- **गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता (2025 मसौदा):** इसमें अनिवार्य दुर्घटना बीमा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य कवरेज और वेतन एल्गोरिदम में डेटा पारदर्शिता शामिल है।
- **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):** इसने 'क्विक रिटेल नोड्स' का पायलट किया है, जो Q-कॉमर्स विक्रेताओं को एक एकीकृत डिजिटल बुनियादी ढांचे में एकीकृत करता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 (संशोधन, 2024):** यह डिलीवरी समय के दावों में पारदर्शिता, डिलीवरी एजेंट की कार्य करने की स्थितियों का खुलासा, और झूठे '10-मिनट' विपणन वादों के लिए जवाबदेही को अनिवार्य करता है।
- **सतत पैकेजिंग अनुपालन:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) सतत पैकेजिंग अनुपालन को अनिवार्य करता है, जिसमें सभी Q-कॉमर्स खिलाड़ियों को 2026 तक 100% पुनर्चक्रण योग्य सामग्री पर स्विच करने की आवश्यकता होती है।

आगे की राह: क्विक-कॉमर्स से परे

- नीति आयोग डिजिटल लॉजिस्टिक्स विजन (2025–2030) का पूर्वानुमान है:
 - ONDC एकीकरण के माध्यम से टियर-II और टियर-III शहरों तक विस्तार।
 - उच्च-मांग वाले क्षेत्रों के पास माल को पूर्व-स्थित करने के लिए एआई द्वारा संचालित भविष्य कहनेवाला वाणिज्य।
 - सुरक्षित, सतत Q-कॉमर्स पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए राज्य सरकारों, DPIIT, और स्टार्टअप्स के बीच सुदृढ़ सहयोग।
- सतत समाधान विनिर्माण, निर्माण, और कपड़ा जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने में निहित हैं। समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए, भारत को चाहिए:
 - कार्य के सभी रूपों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को सुदृढ़ करना;
 - डिजिटल-युग की सुरक्षा को शामिल करने के लिए श्रम कानूनों में सुधार करना;
 - प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में जिम्मेदार एआई शासन को बढ़ावा देना।

स्रोत: TH

आधुनिक वॉरफेयर और भारत की उभरती सुरक्षा चुनौतियाँ

संदर्भ

- थलसेना प्रमुख ने संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (NDC) में अपने संबोधन के दौरान आधुनिक वॉरफेयर की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डाला, जिसे पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों के संगम द्वारा चिह्नित किया गया है।

आधुनिक वॉरफेयर क्या है?

- आधुनिक वॉरफेयर का अर्थ है समकालीन संघर्ष, जो भूमि, समुद्र, वायु, साइबर, अंतरिक्ष और सूचना क्षेत्रों में एक साथ संचालित होता है।

- यह पारंपरिक सैन्य शक्ति के एकीकरण से परिभाषित होता है, जिसमें हाइब्रिड, विषम और ग्रे-ज़ोन रणनीतियाँ शामिल होती हैं, जिन्हें अक्सर घोषित वॉरफेयर की सीमा से नीचे प्रयोग किया जाता है।

आधुनिक वॉरफेयर को आकार देने वाली प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):** वास्तविक समय में खुफिया प्रसंस्करण, युद्धक्षेत्र का पूर्वानुमान विश्लेषण, स्वचालित लॉजिस्टिक्स और निर्णय-सहायता प्रणालियाँ सक्षम करती है।
- डेटा प्रभुत्व:** यह बल गुणक के रूप में उभरा है, जिसमें सेनाएँ बिग डेटा, मशीन लर्निंग और सेंसर फ्यूजन पर निर्भर करती हैं।
- मानवरहित और स्वायत्त प्रणालियाँ:** ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन्स, और मानवरहित जमीनी व नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने निगरानी और हमले की क्षमताओं को बदल दिया है।
- साइबर और सूचना वॉरफेयर:** यह महत्वपूर्ण अवसंरचना, कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम और सैन्य नेटवर्क को निशाना बनाता है, अक्सर शांति काल में।
- सूचना वॉरफेयर:** इसमें दुष्प्रचार अभियान, मनोवैज्ञानिक अभियान और नैरेटिव नियंत्रण शामिल हैं, जिनका उद्देश्य जन धारणा एवं राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करना है।
- काउंटर-स्पेस क्षमताएँ:** अंतरिक्ष-आधारित संपत्तियाँ नेविगेशन, मिसाइल मार्गदर्शन, निगरानी और सुरक्षित संचार के लिए केंद्रीय हैं।
 - एंटी-सैटेलाइट हथियार, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप और अंतरिक्ष मलबे के जोखिम ने अंतरिक्ष को विवादित एवं सैन्यीकृत क्षेत्र बना दिया है।
- प्रिसिजन-गाइडेड म्यूनिशन और हाइपरसोनिक हथियार:** ये न्यूनतम चेतावनी समय के साथ दूर से हमले की अनुमति देते हैं, जिससे पारंपरिक प्रतिरोध और वायु रक्षा प्रणालियाँ चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं।

- **लॉन्ग-रेंज फायर:** बिना भौतिक नियन्त्रण के विरोधी क्षेत्र में गहराई तक प्रभाव डालने की अनुमति देता है।

भारत के लिए आधुनिक वॉरफेयर से उत्पन्न खतरे

- **हाइब्रिड और ग्रे-ज़ोन चुनौतियाँ:** भारत लगातार ग्रे-ज़ोन रणनीतियों का सामना करता है, जिनमें साइबर घुसपैठ, दुष्प्रचार अभियान और प्रॉक्सी हिंसा शामिल हैं।
 - **डोकलाम (2017) और लद्दाख गतिरोध (2020)** यह दर्शाते हैं कि कैसे बिना पूर्ण वॉरफेयर के दबाव डाला जा सकता है।
- **साइबर और सूचना कमजोरियाँ:** CERT-In आकलनों के अनुसार भारत साइबर हमलों से प्रभावित शीर्ष पाँच देशों में शामिल है।
 - दुष्प्रचार अभियान सामाजिक एकता, चुनावी प्रक्रियाओं और संस्थागत विश्वास को कमजोर करने का जोखिम रखते हैं।
- **समुद्री और अंतरिक्ष सुरक्षा जोखिम:** भारत के 90% से अधिक व्यापार (वॉल्यूम के आधार पर) समुद्री मार्गों से होता है, जिससे समुद्री सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
 - अंतरिक्ष-आधारित संपत्तियों पर निर्भरता भारत को काउंटर-स्पेस खतरों के प्रति उजागर करती है, जो नागरिक सेवाओं और सैन्य अभियानों दोनों को प्रभावित करती है।

भारत की संस्थागत और रणनीतिक प्रतिक्रिया

- **सैन्य आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण:** भारत का रक्षा पूंजीगत व्यय 2025-26 में लगभग ₹1.8 लाख करोड़ था, जिसमें 75% से अधिक घरेलू खरीद के लिए निर्धारित था।
 - तेजस, आकाश, पिनाका और सशस्त्र UAV जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भरता और परिचालन लचीलापन बढ़ाते हैं।
- **संरचनात्मक सुधार:** शेकटकर समिति की सिफारिशों के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का निर्माण

संयुक्त योजना और एकीकरण को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

- प्रस्तावित **इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स** बहु-क्षेत्रीय संचालन को एकीकृत रूप से सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- **रक्षा साइबर एजेंसी (DCA) और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA):** उभरते युद्धक्षेत्र क्षेत्रों को संस्थागत रूप देती हैं।
- **भारत का रक्षा अंतरिक्ष सिद्धांत (2023):** राष्ट्रीय सुरक्षा में अंतरिक्ष की भूमिका को रेखांकित करता है।
- **भारत का मिशन शक्ति (2019):** एंटी-सैटेलाइट क्षमता का प्रदर्शन किया, जो बढ़ती अंतरिक्ष सैन्यीकरण को दर्शाता है।

आगे की राह

- आधुनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म-केंद्रित दृष्टिकोण से क्षमता-आधारित, प्रौद्योगिकी-चालित बल योजना की ओर बदलाव की मांग करता है। भारत को एआई अपनाने, साइबर लचीलापन, अंतरिक्ष सुरक्षा और संयुक्त सुधारों में तेजी लानी चाहिए।
- मानव पूंजी, रक्षा नवाचार और रणनीतिक साझेदारियों में सतत निवेश विश्वसनीय प्रतिरोध बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
- वॉरफेयर की बदलती प्रकृति के अनुरूप ढलना भारत की संप्रभुता, स्थिरता और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए आवश्यक है, विशेषकर तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

पंखुड़ी पोर्टल (PANKHUDI Portal)

समाचार में

- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया।

पंखुड़ी पोर्टल

- यह एक एकीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल है।
- इसका उद्देश्य महिला और बाल विकास की पहलों में समन्वय, पारदर्शिता एवं संरचित हितधारक भागीदारी को सुदृढ़ करना है।

विशेषताएँ

- पंखुड़ी को एक सिंगल-विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जो व्यक्तियों, अनिवासी भारतीयों (NRIs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), CSR योगदानकर्ताओं, कॉर्पोरेट संस्थाओं एवं सरकारी एजेंसियों को एक साथ लाता है।
- यह पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE), बाल कल्याण, संरक्षण एवं पुनर्वास, तथा महिलाओं की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण जैसे प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में स्वेच्छिक और संस्थागत योगदानों को सुव्यवस्थित और एकीकृत करता है।
- यह मंत्रालय के प्रमुख मिशनों—मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति—के कार्यान्वयन को संरचित और पारदर्शी डिजिटल तंत्र के माध्यम से समर्थन एवं सुदृढ़ करता है।

महत्व

- पंखुड़ी पोर्टल डिजिटल तकनीक का उपयोग करके CSR साझेदारियों को सुदृढ़ करता है तथा भारत भर में महिलाओं एवं बच्चों के लिए बुनियादी ढाँचे और सेवाओं में सुधार करता है, जिससे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से सेवा वितरण को बढ़ावा मिलता है और लाखों नागरिकों को लाभ होता है।

स्रोत: PIB

ग्राहम-ब्लूमथल प्रतिबंध विधेयक

संदर्भ

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्राहम-ब्लूमथल प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दी है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 500% तक शुल्क लगाने का अधिकार देगा जो जानबूझकर रूसी तेल या यूरेनियम खरीदते हैं।

परिचय

- यह विधेयक अमेरिका को चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों के विरुद्ध भारी दबाव बनाने का अधिकार देगा ताकि वे सस्ते रूसी तेल की खरीद बंद करें।
- 2018 में, विगत ट्रंप प्रशासन के दबाव में भारत ने ईरान और वेनेजुएला से अपने तेल आयात को “शून्य” कर दिया था।
- **भारत पर शुल्क:** अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक का उच्च शुल्क लगाया है। इसका एक हिस्सा भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद से जुड़ा है।
- **भारत का रुख:** भारत कहता है कि रूस से तेल खरीदने का निर्णय राष्ट्रीय हित पर आधारित है। इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने नागरिकों के लिए ईंधन की कीमतें क़िफ़ायती रखना है।

स्रोत: TH

स्पाइना बिफिडा

संदर्भ

- कई देशों ने स्पाइना बिफिडा की रोकथाम के लिए फोलिक एसिड अनुपूरण के माध्यम से राष्ट्रीय जागरूकता अभियान और कार्यक्रम शुरू किए।

स्पाइना बिफिडा क्या है?

- स्पाइना बिफिडा रीढ़ की हड्डी का एक जन्मजात दोष है, जो गर्भावस्था के शुरुआती चरण में न्यूरल ट्यूब के ठीक से बंद न होने के कारण होता है।
- इस स्थिति के परिणामस्वरूप विभिन्न स्तरों की लकवा हो सकती है, जो पैरों की हल्की कमजोरी से लेकर निचले अंगों के पूर्ण लकवे तक हो सकती है।
- कई प्रभावित बच्चे हाइड्रोसेफलस, मूत्र और मल असंयम, तथा क्लबफुट जैसी अस्थि-विकृतियों से भी पीड़ित होते हैं।
- **रोकथाम में फोलिक एसिड की भूमिका:**
 - गर्भधारण से पहले और शुरुआती गर्भावस्था में फोलिक एसिड का सेवन स्पाइना बिफिडा के 70% से अधिक मामलों को रोकता है।

- फोलिक एसिड एक बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो भ्रूण में न्यूरल ट्यूब के विकास का समर्थन करता है।

स्रोत: TH

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से अमेरिका बाहर

संदर्भ

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) से बाहर होने की घोषणा की है।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में

- **उत्पत्ति:** भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज (COP21) के दौरान ISA की शुरुआत की थी।
- **उद्देश्य :** सौर ऊर्जा के तीव्र और व्यापक उपयोग के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान देना।
- **सचिवालय :** गुरुग्राम।
- **शासन:** ISA की शासन संरचना में क्षेत्रीय समितियाँ, स्थायी समिति और ISA असेंबली शामिल हैं। ISA असेंबली इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
- **सदस्य :** सदस्य देश वे हैं जिन्होंने ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन किया है।
 - वर्तमान में 120 से अधिक देश ISA फ्रेमवर्क समझौते के हस्ताक्षरकर्ता हैं।

स्रोत: TH

समुद्री कछुओं का उपग्रह टैगिंग संरक्षण में सहायक

संदर्भ

- प्रथम बार की गई पहल में, चेन्नई के तट पर अंडे देने वाले ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं को उपग्रह टैग किया गया और 2025-27 की दो वर्षीय टेलीमेट्री अध्ययन के हिस्से के रूप में छोड़ा गया, ताकि संरक्षण प्रयासों को मजबूत किया जा सके।

- यह पहल कछुओं की गतिविधियों, घोंसले बनाने के व्यवहार, प्रवासी मार्गों और मछली पकड़ने की गतिविधियों के साथ उनकी अंतःक्रियाओं को ट्रैक करेगी।

ऑलिव रिडले कछुओं (लेपिडोकिलिस ओलिवेसिया) के बारे में

- ऑलिव रिडले कछुए विश्व के सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं।
- इनका नाम इनके दिल के आकार के खोल के ऑलिव हरे रंग से पड़ा है। ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म पानी में रहते हैं।
- ये मांसाहारी हैं और मुख्यतः जेलिफ़िश, झींगा आदि खाते हैं।
- ये कछुए अपनी अनोखी सामूहिक अंडे देने की प्रक्रिया अरिबाडा के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें हजारों मादा एक ही समुद्र तट पर अंडे देने के लिए आती हैं।
- भारत में प्रमुख अंडे देने वाले स्थल हैं: रुशिकुल्या तट (ओडिशा), गहिरमाथा बीच (भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान), और देवी नदी का मुहाना।
- ओडिशा विश्व में ऑलिव रिडले कछुओं का सबसे बड़ा सामूहिक अंडे देने वाला स्थल है।
- **संरक्षण स्थिति :**
 - IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य
 - CITES: परिशिष्ट I

स्रोत: TH

बायो-बिटुमेन

संदर्भ

- भारत विश्व का प्रथम देश बन गया है जिसने सड़क निर्माण में बायो-बिटुमेन का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है।

परिचय

- बिटुमेन एक काला, चिपचिपा हाइड्रोकार्बन मिश्रण है, जो कच्चे तेल के विभाजन से उत्पन्न होता है और सड़क

- निर्माण में एक महत्वपूर्ण बाइंडर के रूप में कार्य करता है।
- बायो-बिटुमेन बनाने की प्रक्रिया में फसल कटाई के बाद धान के पुआल का संग्रह, पैलेटाइजेशन, पायरोलिसिस द्वारा बायो-ऑयल उत्पादन एवं पुनः पारंपरिक बिटुमेन के साथ मिश्रण शामिल है।
 - वर्तमान में भारत अपनी बिटुमेन आवश्यकता का लगभग 50% आयात करता है। बायो-बिटुमेन जैसी नवाचार विदेशी निर्भरता को काफी कम करेंगे और घरेलू क्षमताओं को मजबूत करेंगे।
 - यह पहल फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने में सहायता करेगी।

स्रोत: PIB

